भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2083
बुधवार, 19 मार्च, 2025 / 28 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस के लिए एकसमान सॉफ्टवेयर

2083 श्री नरहरी अमीनः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक समान सॉफ्टवेयर को व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि, छोटे और सीमांत किसान विशेषकर वे जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभान्वित हों;
(ग) क्या और अधिक सुव्यवस्थित कृषि ऋण प्रणाली के लिए पीएसीएस उद्यम संसाधन नियोजन को अन्य राष्ट्रीय वित्तीय प्लेटफार्मों जैसे पीएम किसान, ईएनएएम या किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पोर्टलों के साथ एकीकृत करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ) भारत सरकार ने कुल ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ लिंक करना है । यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर देश भर में सभी पैक्स को प्रदान किया जाता है, ताकि पैक्स की सभी कार्यशील, क्रेडिट और नॉन-क्रेडिट दोनों पर डेटा प्राप्त किया जा सके । यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूलन योग्य है ।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाता है । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होता है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है । इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता यह सुनिश्चित करती है कि लघु और सीमांत किसानों के साथ ऐसे किसान, जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभान्वित हों ।

यह व्यापक ईआरपी सदस्यता प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं जैसे जमा और उधार (अल्पकालिक, मध्यम कालिक और दीर्घकालिक), प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), व्यवसाय योजना भांडागारण, क्रय–विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन सहित बहु कार्यात्मकता को एकीकृत करता है । इसके अतिरिक्त, इसमें पैक्स सदस्यों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए रुपे और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)/डेटाबेस एकीकरण को शामिल करने का प्रावधान है ।

*****